

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 155 / 2022

दिनांक : 17.11.2022

श्रीमती परीक्षिता देथा (RJ1092), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (अजमेर) को दिनांक 28.11.2022 से 09.12.2022 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.11.2022 से 27.11.2022 एवं 10.12.2022 से 11.12.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री मदनलाल सहारण (RJ0938), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर) को श्रीमती परीक्षिता देथा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (अजमेर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री मदनलाल सहारण (RJ0938), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/80/2016/7777

दिनांक : 17.11.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 31801 दिनांक 01.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती परीक्षिता देथा (RJ1092), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (अजमेर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजयनगर (अजमेर)।
5. श्री मदनलाल सहारण (RJ0938), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नसीराबाद (अजमेर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

17.11.2022

सहायक रजिस्ट्रार